बहुत गंभीर हैं रेश एण्ड नेगलीजेंस ड्राइविंग के लिए न केवल सजा बढ़ाई है बल्कि यह भी व्यवस्था है कि जो इस प्रकार से रेश ड्राइविंग करने देगा, मालिक भी उसके लिए उत्तरदायी होगा और मुझे लगता है कि इस मामले में हमने राज्य सरकारों से भी सलाह ली है क्योंकि, criminal laws is a Concurrent Subject. उनकी सलाह लेकर हम इस पर आगे कार्रवाई करेंगे।

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

देश में हस्तशिल्पी

*306. **चौधरी हरमोहन सिंह यादव:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार के पास हस्तशिल्पियों की संख्या के संबंध में जानकारी उपलब्ध नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा): (क) और (ख) वर्ष 1993 में, राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एन सी ए ई आर) द्वारा की गई हस्तशिल्प कारीगरों की जनगणना में हस्तशिल्प कारीगरों की संख्या 48.22 लाख होने का अनुमान लगाया गया है। इसके साथ-साथ राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद द्वारा वर्ष 1994-95 में हस्तशिल्पियों की संख्या का अनुमान लगाने के लिए विस्तृत सर्वेक्षण शुरू किया गया। आंकडे एकत्र करने सम्बंधी कार्य जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब व संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़ को छोड़कर सभी राज्यों में पूरा हो चुका है। इन राज्यों में आंकड़े एकत्र करने का कार्य चल रहा है।

तीर्थ यात्रियों का शोषण

*308. **श्री नरेन्द्र मोहन:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारत में विविध स्थानों की यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है और यहां तक कि अधिकांश तीर्थयात्रियों का अत्यधिक शोषण होता है;

(ख) सरकार द्वारा इन तीर्थयात्रियों को पेश आने वाली समस्याओं का समाधान करने के लिए क्या योजनाएं बनाई गई हैं तथा क्या इन योजनाओं को लागू किया गया है;

(ग) क्या राज्य सरकारें इस दिशा में पर्याप्त सहयोग दे रही हैं; और

(घ) उन राज्यों के नाम क्या है, जहां तीर्थयात्रियों की स्थिति दिन-प्रतिदिन और खराब हुई है अथवा किन राज्यों में विशेष सुधार किए जाने की आवश्यकता है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) से (घ) इस आशय की कोई विशिष्ट सूचना उपलब्ध नहीं है कि भारत में विभिन्न स्थानों की यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों को कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है तथा उनमें से अधिकांश का अत्यधिक शोषण किया जाता है। तथापि, कुछ बेईमान दुकानदारों, टैक्सी चालकों, इत्यादि द्वारा कभी-कभी तीर्थयात्रियों को परेशान करने की घटनाएं सूचित की जाती हैं।

तीर्थस्थलों का विकास और उनका रख-रखाव करना, तीर्थयात्रियों को सुविधाएं उपलब्ध कराना, इत्यादि, मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय ने कुछ चुने हुए तीर्थस्थलों में मूलभूत सुविधाओं का विकास करने के लिए एक योजना तैयार की है। इस योजना के अधीन दी जाने वाली सुविधाओं में, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रसाधन पेयजल, खाने-पीने के सामान की दुकानें, रात्रि विश्राम स्थल, नहाने-धोने की सुविधाएं, इत्यादि शामिल हैं। इस योजना के अधीन, चुने हुए तीर्थस्थलों में अतिरिक्त सुविधाएं मुहैया कराने के लिए परियोजना लागत की 25 प्रतिशत तक की राशि केन्द्रीय राहत के रूप में दी जाती है, तथा शेष राशि को तीर्थस्थानों को शासित करने वाले निकायों द्वारा वहन किया जाता है। इस मामले में पर्यटन मंत्रालय को राज्य सरकारों की मदद मिल रही है।

Indo-British defence ties

*309. SHRI GHUFRAN AZAM: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-item captioned, "Britain keen on defence ties", as reported in the Statesment dated the 21st January, 1999;

(b) if so, whether the British Government has shown interest to have defence ties with India; and

(c) if so, the details of discussions held in this regard during the past few months and the outcome thereof?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI GEORGE FERNANDES): (a) and (b) Yes, Sir.